शुद्धिपत्र

संख्या-167/2026/आई/1266809/23-1-26-23-1002(002)/34/2026

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ: 16 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से आगरा मण्डल के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में मैनपुरी सिरसागंज मार्ग के चैनेज 28.00 से 35.770 तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054 मद में विभिन्न पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव दिनांक 16.01.2026 के क्रम में शासनादेश संख्या-54/2026**/आई/**1221217**/23-1-2**6**/**001**-**23-1002(002)/34/2026, दिनांक 29.01.2026 द्वारा अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक 5054 के अन्तर्गत **जनपद फिरोजाबाद में मैनपुरी सिरसागंज मार्ग के चैनेज 28.00 से 35.770 तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य की** प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त शासनादेश में अंकित मार्ग का नाम जनपद फिरोजाबाद मे मैनपुरी सिरसागंज मार्ग के चैनेज 28.000 से 36.350 तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के स्थान पर जनपद फिरोजाबाद मे मैनपुरी सिरसागंज मार्ग के चैनेज 28.000 से 35.770 तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य अंकित हो गया है।

2- अतः उक्त स्वीकृत शासनादेश संख्या-54/2026**/आई/**1221217**/23-1-2**6**/**001**-**23-1002(002)/34/2026, दिनांक 29.01.2026 द्वारा मार्ग जनपद फिरोजाबाद मे मैनपुरी सिरसागंज मार्ग के चैनेज 28.000 से 35.770 तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य **के स्थान** मार्ग का नाम पर जनपद फिरोजाबाद मे मैनपुरी सिरसागंज मार्ग के चैनेज 28.000 से 36.350 तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य पढ़ा जाय।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 29.01.2026 की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-167/2026/आई/1266809(1)/23-1-26-23-1002(002)/34/2026-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।